न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 86/2010

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नारायणलाल पुत्र घीसूलाल जाति कलाल के का0मु0		1. किशोर कुमार
1/1 जमुनादेवी पत्नि नारायणलाल		2. रमेश कुमार पी0 कालूराम
1/2 पूनमचन्द पुत्र नारायणलाल		3. विधा देवी पत्नि कालूराम जातिगण प्रजापत निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली (राज0)
1/3 रमेश पुत्र नारायणलाल जातियान कलाल निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली (राज0)		4. देवीलाल पुत्र फूलचंद जाति ब्राहमण के कायम मुकामानः—
		4/1 किशोर कुमार पुत्र देवीलाल
		4/2 सचिन पुत्र देवीलाल
		4/3 भरत पुत्र देवीलाल जातियान ब्राहम्ण सा0 साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली।
		5. गणपतसिंह पुत्र दातारसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली (राज0)
		6. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत,तहसील सोजत जिला–पाली (राज.)।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. **श्री भूण्डाराम चौधरी अधिवक्ता मय वादीगण उपस्थित।**
2. **श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण उपस्थित।**

—: **निर्णय** :— **दिनांक —01.11.2017**

अधिवक्ता वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 797 रकबा 2.6000 हैक्टर किस्म बा0अ0 स्थित है। इस भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/4 हिस्सा है। अपने–अपने हिस्से माफिक वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त कृषि जोत की कृषि भूमि पर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी सं0 06 भूमि धारक (तहसीलदार) होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 उक्त वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर संयुक्त रूप से निरन्तर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण अदल बदल कर उक्त वादग्रस्त आराजीयात की कृषि भूमि को कई वर्षो से बुवाई कर रहे है। जब वादी ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा करने हेतु कई बार प्रतिवादीगण को निवेदन किय तो प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर अपना 1/4 हिस्सा पृथक करवाना

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

चाहा। दि0 03.08.2010 को वादी हर वर्ष की भांति वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर मेहन्दी की फसल लगाना चाहता है तो प्रतिवादीगण तमाम ने वादी को मेहन्दी की फसल लगाने से रोकने से बमुकाम साण्डिया में उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह वाद बंटवाड़ा का बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के पेश किया है। वाद हेतुक दि0 03.08.2010 को बमुकाम साण्डिया में वादी को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में मेहन्दी की फसल लगाने से मना करने से व बंटवाड़ा करवाने से इन्कार करने से पैदा हुआ है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 4 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से प्रति0सं0 04 के का0मु0 के विरूद्व दिनांक 04.01.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त अनवान के प्रकरण में दि0 25.04.2011 को प्रतिवादी संख्या 2,3,5 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है तथा प्रति0सं0 1 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार आशिया ने वकालतनामा पेश किया, जिस पर उन्होने जवाबदावा प्रस्तुत नही किया। अधिवक्ता भूण्डाराम चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 दि0 22.09.2011 को पेश हुआ को बाद विधिक सुनवाई दिनांक 22.09.2011 को स्वीकार किया जाकर वादी नारायण लाल दि0 07.06.2011 को हो जाने से उनके का0मु0 जमनादेवी पत्नि, पूनमचन्द व रमेश पुत्रान को बतौर का0मु0 (वादीगण) पक्षकार रेकर्ड पर लिया गया जिनकी ओर से श्री भुण्डाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 है। दिनॉक 27.01.2014 को प्रति0 सं0 4 फौत हो जाने से प्रतिवादी सं0 4 देवीलाल के का0मु0 4/1 किशोर कुमार 4/2 सचिन व 4/3 भरत पि0 देवीलाल ब्राहम्ण सा0 साण्डिया को जरिए सम्मनस तलब किये गये जिनको बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर अनुपस्थित भी प्रा0पत्र स्वीकार किया गया तथा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण pw-1 जमनादेवी, pw-2 रमेश के तस्दीकसुदा शपथ–पत्र पेश किए, सा0मि0 हो। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से शहादत वादीगण दि0 01.11.2017 को बन्द की गई।

राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार, 2017 कार्यक्रम में आयोजित राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प – साण्डिया पर पत्रावली दिनॉक 30.05.2017 को पेश हुई। तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाकर वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों के रूबरू बरूवे, मौका अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा मय नजरी नक्शा पेश हुई, सामिल मिसल किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादग्रस्त भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किये जाने की ईश्तदुआ की है, जिसमें अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण संख्या 01 ने भी सहमति/स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 30.05.2017 वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारानों में विभाजन/बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 30.05.2017 डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 797 रकबा 2.6000 हैक्टर किस्म बा0अ0 में वादीगण की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा अर्थात खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि व लगान का पक्षकारानों में विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार मय बल्दियत	खसरा संख्या	रकबा (है.)	किस्म	लगान
1.	किशोरकुमार भरतकुमार सचिनकुमार पि0 देवीलाल कौम ब्राहम्ण सा0देह खातेदार	797	0.65	बा0अ0	3.90
2	जमनादेवी पत्नि नारायणलाल पूनमचंद रमेश पि0 नारायणलाल कौम–कलाल सा0देह खातेदार	797/1	0.65	बा0अ0	3.90
3.	किशोरकुमार रमेशकुमार पि0 कालुराम विद्यादेवी पत्नि कालुराम कौम कुम्हार सा0देह खातेदार	797/2	0.65	बा0अ0	3.90
4.	गणपतसिंह पुत्र दातारामसिंह कौम राजपूत सा0देह खातेदार	797/3	0.65	बा0अ0	3.90

तहसीलदार सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब होकर सामिल पत्रावली हो। इस निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को राजस्व सरे ईजलास मेरे द्वारा सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner